मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

क्रमांक /स्था/प्रनिबो/2018 भोपाल, दिनांक

-: कार्यालय आदेश:-

स्व. श्री दीपक चिलबुले, अनुरेखक, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के दिनांक 22/09/2017 को आकस्मिक निधन उपरांत उनके पुत्र श्री अंशुल चिलबुले को मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के निम्न श्रेणी लिपिक पद पर 02 वर्ष की परीवीक्षा अवधि सातवें वेतनमान में वेतन रूपये 19500-62000 में निम्न शर्तो पर म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

1. श्री अंशुल चिलबुले द्वारा नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह के अन्दर प्रशासकीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल को उपस्थिति देनी होगी।
2. कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-
   - I) स्थानीय सिविल सर्जन से शारीरिक परीक्षण कराकर सेवा के लिए उपयुक्तता का प्रमाण पत्र।
   - II) रूपये 100 रू. के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र। (संलग्न प्रपत्र अनुसार)
   - III) चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित प्रपत्र भरकर साथ में लाये।
3. अनुकम्पा नियुक्ति पर नियुक्त सेवक द्वारा कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया है कि दिवंगत शासकीय सेवक पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण पोषण करेगा। नियुक्ति उपरांत किसी भी समय यदि ये प्रमाणित पाये जाने पर कि आपके द्वारा परिवार के सदस्यों का सही ढंग से भरण पोषण नहीं किया जा रहा है, तो आपकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
4. अनुकम्पा पर नियुक्त सेवक को अपने मूल वेतन के साथ-साथ बोर्ड द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते देय होगें।
5. अनुकम्पा पर नियुक्त सेवक को नियुक्ति से 06 माह की अवधि में टायपिंग/ कम्प्यूटर दक्षता हेतु म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. वर्तमान नियुक्ति अस्थाई है, उभय पक्ष द्वारा एक माह के पूर्व सूचना से सेवा समाप्त की जा सकेगी। एक माह की पूर्व सूचना न देने पर एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर की राशि यथा स्थिति देय अथवा वसूली योग्य होगी।
7. नियुक्ति के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि आवेदक अनुकम्पा नियुक्ति के योग्य नहीं है तो, अनुकम्पा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
8. परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण आवेदन मान्य नहीं होगा। सेवा से त्यागपत्र तभी मान्य होगा जबकी पूर्ण सेवा अवधि का वेतन भत्ते की राशि जमा की जाये।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित

(सुधीर श्रीवास्तव)
प्रशासकीय अधिकारी

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेरा कालोनी, भोपाल
(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

पृ.क्र. /1000 /स्था/प्रनिबो/2018 भोपाल, दिनांक 22 JUN 2018

प्रतिलिपि :-

1. वित्त अधिकारी, लेखा शाखा, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. श्री अंशुल चिलबुले, बी-6, गुलाबी नगर, बाग मुगालिया, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आई.टी. शाखा/गार्ड फाईल।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

क्रमांक /स्था/प्रनिबो/2018 भोपाल, दिनांक

-: कार्यालय आदेशः-

श्री धीरेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री राकेश शर्मा, को म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, में भृत्य/चौकीदार के पद पर सातवें वेतनमान के लेवल-1 में न्यूनतम वेतन रू. 15500-49000 पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अनुकंपा नियुक्ति के तहत् 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्न शर्तो के तहत् नियुक्त किया जाकर क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन में पदस्थ किया जाता हैः-

1. श्री धीरेन्द्र शर्मा द्वारा नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह के अन्दर पदस्थापना स्थान पर क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 17, भरतपुरी उज्जैन को उपस्थिति देनी होगी।
2. कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करें :-
   - I) स्थानीय सिविल सर्जन से शारीरिक परीक्षण कराकर सेवा के लिए उपयुक्तता का प्रमाण पत्र।
   - II) रूपये 100 रू. के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र। (संलग्न प्रपत्र अनुसार)
   - III) चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित प्रपत्र भरकर साथ में लाये।
3. अनुकम्पा नियुक्ति पर नियुक्त सेवक को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व इस आशय का वचन पत्र देना होगा कि दिवंगत शासकीय सेवक पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण पोषण करेगा। नियुक्ति उपरांत किसी भी समय प्रमाणित पाये जाने पर कि आपके द्वारा परिवार के सदस्यों का सही ढंग से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है, तो आपकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
4. अनुकम्पा पर नियुक्त सेवक को अपने मूल वेतन के साथ-साथ बोर्ड द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते देय होगें।
5. वर्तमान नियुक्ति अस्थाई है, उभय पक्ष द्वारा एक माह के पूर्व सूचना से सेवा समाप्त की जा सकेगी। एक माह की पूर्व सूचना न देने पर एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर की राशि यथा स्थिति देय अथवा वसूली योग्य होगा।
6. नियुक्ति के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि आवेदक अनुकम्पा नियुक्ति के योग्य नहीं है तो, अनुकम्पा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
7. परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण आवेदन मान्य नहीं होगा। सेवा से त्यागपत्र तभी मान्य होगा जबकी पूर्ण सेवा अवधि के वेतन भत्ते की राशि जमा की जाये।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित

श्रीवास्तव

(सुधीर श्रीवास्तव)

प्रशासकीय अधिकारी

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

पृ.क्र. 1002 /स्था/प्रनिबो/2018 भोपाल, दिनांक 22 JUN 2018

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
2. वित्त अधिकारी, लेखा शाखा, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. श्री धीरेन्द्र शर्मा, 74/4बी, साकेत नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
4. आई.टी. शाखा/गार्ड फाईल।